

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-12/2017/780/37-1-2017-03(04)/2017

लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2017

कार्यालय-आदेश

डा० सत्येन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी, शोभवापुर, जनपद रायबरेली (निलम्बित) के विरुद्ध दिनांक 13-12-2014 से अनाधिकृत रूप से इयूटी से अनुपस्थित रहने आदि आरोपों के लिये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के श्री राज्यपाल एतद्वारा आदेश प्रदान करते हैं।

2- उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ जाँच अधिकारी नामित किये जाने के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2017/780(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास) पशुपालन विभाग।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे०पी० त्रिवेदी
विशेष सचिव।